कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड़ मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/16964/2015

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, के पत्रांक 833 / 12–1 दिनांक 05–11–2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	EDS	REPLY
1	The Total area of villagewise breakup does not match with the area proposed for diversion in Part I. The State Govt may do the necessary correction.	खण्डीय स्तर पर अपलोड फार्म A के पार्ट । के बिन्दु सं० B-2.3 पर ठीक कर दिया गया है।
2	The State Govt has provided /uploaded the scanned copy of GIS software generated digial map without showing geo coordinates which is not acceptable. The State Govt may provided/uploaded the correct map showing geo coordinates at 200 to 300m interval along the alignment including all turning points on eact to the Scale and ensure the uploading the correct revised map in online Part I.	फार्म A में पाार्ट। के बिन्दु सं0 C (iv) में ठीक कर दिया गया है।
3	The State Govt may provide/uploaded GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA which should be 11.265ha providing geo coordinates at all corner point in shape (polygon/closed area) file. The Google Earth Map will no accepted for the purpose.	फार्म A में पाार्ट। के बिन्दु सं0 C (v) में ठीक कर दिया गया है।
4	The State Govt may provide/upload coorect KML file for CA in part II.	फार्म A में पाार्ट। के बिन्दु संo L-(iv)-C में ठीक कर दिया गया है।

5	The State Co.	
3	The State Govt may review the density of the area in view of the number of trees proposed to be felled in the area and correct the NPV calcularion in hard copy as well as in online Part II.	की संख्या 325 है, एंव जिसका घनत्व 0.6 है। एंव प्रस्ताव के
6	In the cost benefit analysis uploaded in the part I in both performa VI b and VIC needs to be quantified in monetary terms Cost over Benefits ratio may also be worked out.	फार्म A में पाार्ट। के बिन्दु संo G-(a) में ठीक कर दिया गया है।
7	Employment details provided in online Part-I is seems to be incorrect the State Govt may review the information and provide correct information if required.	खण्डीय स्तर पर पूर्व में नियमित अधिकारी / कर्मचारी होने के कारण नियमित रोजगार दिवसों की संख्या का आंकलन प्रस्ताव में नहीं किया गया है। अपितु परियोजना के पूर्व होने में अस्थाई 19716 रोजगार दिवस पैदा होने की सम्भावना होगी।
8	The CA Scheme is uploaded in Part II is only for area of 10.46ha while it should be prepared for twice the area proposed fir diversion ie 11.2005ha. The State Govt may online Part II.	फार्म A में पार्ट । के बिन्दुं सं0 L (iv)-(h) 11.265 है0 ठीक कर दिया गया है। सी0एस0 स्कीम फार्म । पार्ट । के अतिरिक्त संलनक के क्रमांक सं0 39 पर संलग्न है।
9	Administrative Approval and financial Sanction for construction of this road uploaded as additional documents in Part I is issued in the year 2005 may clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.	प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संठ 2454/11(2)/05-07(प्राठआठ)/05 टीठसीठ दिनांक 28 अक्टूबर 2005 के द्वारा 9.00 किमीठ लम्बाई हेतु 221.80 लाख की प्राप्त है, के कम में अवगत कराना है कि पूर्व में इस मार्ग का 7.425 किमीठ लम्बाई में 3.745 हैठ (7.50मीठ चौड़ाई में) वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया था। जिसे भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र के पत्र संठ 8बी/यू०सीठपीठ/ठ६/43/2012/एफठसीठ/ 674 दिनांक 31/8/2012 द्वारा प्रकरण में सिविल सोयम भूमि को राज्य सरकार द्वारा Denotify कर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति को गैर कानूनी है एंव मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। माठ उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा एंव सिविल सोयम भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न किया जाय सूचित किया गया है। इसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र संठ 11/मिसठ/बन्द/1146/यू०सीठपीठ/11/1308 दिनांक 12 फरवरीठ13 के द्वारा प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत बन्द/निरस्त किया गया है। प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंधन नहीं हुआ है।

the per tree enumeration list attached the proposal out of 325 trees in the proposal out of 325 tre	पर 313 लिखी गई जो भूलवश लिखा गया जबकी भाग—2 प्रपत्र में काटे जाने वाले वृक्षों की सं0 281 है जिनकों कि अब भाग—2 प्रपत्र में सही कर दिया गया है।
If the State Govt may rectify the ne and give correct details in online tell.	
e CA Stipulated does not immensurate with the total area erted in the district the State Govt. By do the necessary correction in the Part II. In the district profile and the complete and correct details with per justification of poor progress of in additional documents if the part II.	उत्तरकाशी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 844792.45 है0 हैं। जिले का वन क्षेत्र 89379.711 हस्तांतरित वन भूमि के सापेक्ष अब तक किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण नही किया जा सका। आगमी वर्षो में क्षतिपूरक के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।
map uploaded in online Part I cating alternate examined is not ble the State Govt may upload the r visible copy of the map.	फार्म A के पार्ट। के बिन्दु संo D(a) में पुनः स्कैन करने के उपरान्त ऑनलाईन अपलोड किया गया है। जिसमें परिवर्तित समरेखण को नीले रंग से दर्शाया गया है।
ne y iii e p	mensurate with the total area rted in the district the State Govt. do the necessary correction in the Part II. In the district profile and complete and correct details with the registrication of poor progress of in additional documents if ited. map uploaded in online Part I stating alternate examined is not alle the State Govt may upload the

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद बुस्मा)। \\6 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मोडल अधिकारी